

प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

संख्या 00567/2023-2024

दिनांक 16/06/2023



सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र
(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण

संख्या: R/KNJ/03086/2023-2024

पत्रावली संख्या: K-47810

दिनांक: 2013-2014

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि बाबू सिंह कृष्णा देवी समिति, शिरडी धाम फर्स्ट्सावाद रोड, छिवरामऊ, कनौज 203001, कनौज, 209721 को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 207/2013-14 दिनांक-07/06/2013 को दिनांक-07/06/2023 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।

1100 रुपये की नवीनीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।



Digitally Signed By
(AKHILESH CHANDRA MAURYA)
154C24284C6D8CF5A6D0F0A1F55F1A2114636DE4

Date: 16/06/2023 1:51:44 PM, Location: Kanpur.

जारी करने का दिनांक-16/06/2023

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

::: संस्थापित दस्तूर :::

1. संस्था का नाम : बाबू तेंह कृष्णा देवी समिति
2. संस्था का पता : A/1 डॉक्टर्स कालोनी, मेडिकल कालेज कैम्पस, बेबर रोड, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद (उ० प्र०) 209601
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4. संस्था के उद्देश्य : शासन, प्रशासन की सहभागीति से निम्नानुसार निम्न उद्देश्य होंगे।
1. शहरी एवं ग्रामीण दोनों के छात्राओं की उच्च शिक्षा हेतु महाविद्यालय खोलना।
 2. छात्राओं हेतु रोजगार पूरक विषयों व सकार्यों की राम्यद्वता महाविद्यालय में लेना।
 3. संस्था द्वारा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा 21 के अन्तर्गत सभी महत्वपूर्ण कार्यों को करना।
 4. महाविद्यालय में छात्राओं की सुरक्षा हेतु आवसीय सुविधा प्रदान करना।
 5. समिति द्वारा शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय, शोध केन्द्र, मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, डेन्टल कालेज, आयुर्वेदिक कालेज, फार्मसी कालेज, महाविद्यालय आदि को नियमानुसार स्थापित व संचालित करना।
 6. समिति द्वारा हास्पिटल, नर्सिंग डोम, डिस्पेन्सरी, डायग्नोस्टिक सेटर, रिसर्च सेटर आदि खोलना, उन्हे संचालित करना तथा उनका प्रबन्ध करना।
- चरित्रबान तथा शुभ आचरण करने वाले अध्यापकों, प्राच्यापकों तथा विशेषज्ञों नियुक्त घरना जो शिष्यों तथा विद्यार्थियों को आधुनिक विज्ञान, औद्योगिक व्यवसाय, नवेशण कार्य, वैद्यक एवं अन्य उपयोगी वृत्तियों में दक्ष्या आधुनिकतम शिक्षण देने के योग्य हों।
- विद्यार्थियों एवं उस संस्था से सम्बन्धित समस्त व्यक्तियों के मानसिक, राजनीतिक तथा नैतिक विकास की ओर स्वरूप और समालोचनात्मक मनोभाव को विकसित करना ताकि वे अच्छे नागरिक बन सकें।
9. समिति की विषय वस्तु वा इस प्रकार विनियोग, व्ययन, अन्तरण करना तथा उद्देश्यों को प्रभावशाली रूप से कार्यान्वित कराना।

सत्य-प्रतिलिपि

प्रधान राहगेक
फर्स्ट, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन विभाग

दग्धाबाद
084/04/2017

- 10- दान, उपहार, अनुदान तथा अन्य मंटो को स्वीकार करना तथा उन्हें संस्था के प्रयोजनों के लिये व्यवहार न करना।
- 11- इस समाज के आधीन संस्थापित या स्थापित की जान वाली संस्थाओं के साधारण व दैरिक्ष में होने वाले व्यय तथा अन्य परिव्ययों की पूर्ति के लिये सामान्य शिक्षण शुल्क ट अना शुल्क लेना।
- 12- शिष्यों को इस प्रकार प्रतिक्रिया और सुनाद करना कि वे शिष्ट और सामान्य जीवन पथ अपनाने के लिये आवश्यक हो सकें और अच्छे स्वरूप और प्रगतशील नागरिक बनें।
- 13- विद्यार्थियों तथा उस संस्था से सम्बन्धित समस्त व्यक्तियों के लिये छात्रावास स्थापित करना तथा उसे बनाना।
- 14- समिति द्वारा शिक्षण संस्थाये जादि को नियमानुसार स्थापित व संचालित करना।
- 15- केन्द्रीय एवं राज्य सरकार खारीदार निकाय एवं विदेशी सरकार, मिशन द्वारा स्वीकृत योजना के छन्दों में संचालित करना व करना।
- 16- सेमिनार, कानकेन्स, इटर्नी और आदि के आयोजनों के माध्यम से विद्यार्थियों को आधुनिक विज्ञान व तकनीकी शिक्षा प्रदान करना।
- 17- संस्था के उद्देश्यों लो पूर्ति हेतु बल अबल रामति, भूमि भवन आदि दान पट्टे पर लेना व देना, क्रय करना, विक्रय करना, किसाये पर लेना व देना अद्वितीय तथा अर्थिक सहायता प्राप्त करना।



संस्कृत-विद्यालय
काशी विद्यालय तथा विद्यालय
काशी

१५/११/१९८०

5. प्रत्याशित नामों के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पद एवं व्यवसाय जिन्हें संस्था के नियमानुसार कार्यमार्ग दिया गया है :-

क्र०सं०	नाम	पिता / पाँते का नाम	पदा	पद	व्यवसाय
1.	श्रीमती शान्तोषिया	श्री चन्द्र नारायण प्रसाद	रजनि निकेतन कोर्ट रेस्टेशन	अध्यक्ष	समाजसेवा
2.	श्री साकेत कुमार	श्री गौरी शकर गिरा	गृहरो ५३, टॉ धनो वाली गली न०-२४ वेस्टेंड सीदुलजाब साकेत मेंट्रो रेस्टेशन के पास, गांधी-सीदुल अंगौव दक्षिण दिल्ली।	उपाध्यक्ष	समाजसेवा
3.	डॉ० जितेन्द्र सिंह	श्री बाबू सिंह	४-१ डॉक्टर कालोनी मेडिकल कलेज, कैम्पस, नारप रोड, फतेहगढ़, फरुखाबाद।	संविधान/ प्रबन्धक	चिकित्सक
4.	डॉ० अनीता रंजन	डॉ० जितेन्द्र सिंह	४-१ डॉक्टर कालोनी मेडिकल कलेज, कैम्पस, वत्तर रोड फतेहगढ़, फरुखाबाद।	उपसचिव	विकित्सक
5.	श्री अनोज कुमार यादव	श्री कामेश्वर प्रसाद भैरवल	रंजन निकेतन कोर्ट रेस्टेशन जिला- पूर्णिया, बिहार।	कोषाध्यक्ष	समाजसेवा
6.	श्री अनुल कुमार	श्री हरिनाथ सिंह	सिविल लाइन्स फतेहगढ़ जिला-फरुखाबाद।	सदस्य	समाजसेवा
7.	श्री विनीत कुमार	श्री अनित कुमार भारती	रंजन निकेतन कोर्ट रेस्टेशन जिला- पूर्णिया बिहार।	सदस्य	समाजसेवा

6. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता घोषित करते हैं कि इस सम्झौते परं नियमावली के अनुसार सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन सं० २१ सं० १८०० अन्तर्भूत प्रौद्योगिकीय संस्था बनते हैं।

क्र०सं०	नाम
1.	श्रीमती शान्तोषिया
2.	श्री साकेत कुमार
3.	डॉ० जितेन्द्र सिंह
4.	डॉ० अनीता रंजन
5.	श्री अनोज कुमार यादव
6.	श्री अनुल कुमार
7.	श्री विनीत कुमार



प्रधान सहायक
पर्ना, सोसाइटीज तथा विद्या

काशीपुर
१५/१२/२०१२

- :- संशोधित नियमावली - :-

1. संस्था का नाम — बाबू सिंह कुमार देवी गांगति
2. संस्था का पता — A-1, डाकघरी कालेनी, मोड़कल कालेज कैम्पस, बेबर रोड, फतेहगढ़ —
फर्रखाबाद (उ० प०) 209601
3. संस्था का कार्यशाला — राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश
4. संस्था के उद्देश्य — समृद्धि एवं के अनुसार
5. संस्था की सदस्यता —

अ) संरक्षक आजीवन सदस्य — संस्था के यह संरक्षणक सदस्य होंगे। संस्था का मंत्री/सचिव/प्रबंधक/प्रबन्ध निदेशक, सेक्रेटरी संरक्षक आजीवन सदस्यों में से ही होंगे। संस्था की सदस्यता प्रदान करने का अधिकार संरक्षक आजीवन सदस्यों को होगा। संरक्षक आजीवन सदस्यों का निर्णय सदस्यता प्रदान करने हेतु अंतिम एवं मान्य होगा। उनके इस निर्णय की अपील किसी भी न्यायालय एवं अधिकारी के समक्ष नहीं हो सकेगी। संस्था के संक्रमण काल में सभी अधिकार संरक्षक आजीवन सदस्यों में विहित होंगे। संरक्षक आजीवन सदस्य की मृत्यु होने पर उनका/उनकी ज्योष्ट वारिस ख्वत, संरक्षक आजीवन सदस्य हो जायेगा। इस समय श्रीमती डा० अनीता रजन एवं डा० जितेन्द्र सिंह यादव संरक्षक आजीवन सदस्य हैं।

ब) आजीवन सदस्य — संस्था की आजीवन सदस्यता प्रहण करने हेतु संस्था के मंत्री को रजिस्टर्ड डाक द्वारा आवेदन पत्र के साथ पांच लाख रूपये का छापट (संस्था के मंत्री के नाम देय हो) संलग्न कर प्रेषित करना होगा तत्पश्चात संरक्षक आजीवन सदस्यों द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकृत होने के पश्चात आजीवन सदस्यता प्राप्त होगी।

स) साधारण सदस्य — जो सज्जन संस्था को एक लाख रु० अदा करेंगे वह साधारण सदस्य होंगे इनका कार्यकाल पाँच वर्ष होगा शेष नियम आजीवन सदस्य की भांति होंगे।

6. सदस्यता की समाप्ति — मृत्यु होने पर, पागल एवं दिवालिया होने पर, न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर, लगातार बैठकों में बिसा किसी उचित कारण के अनुपस्थित रहने पर, संस्था विरोधी कार्यवाही में लिप्त घोषित होने पर।

7. संस्था के अंग — (अ) साधारण सभा
(ब) प्रबन्ध समिति

8. संस्थाना सभा :★ (अ) गठन — सभी सदस्यों को सम्मिलित कर साधारण सभा का गठन किया
- (ब) बैठक — साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अवश्य होगी अवश्यकतानुसार जितनी भी बैठक बुलाई जा सकती है।
- (स) सूचना अवधि — सामान्य बैठक की सूचना 10 दिन पूर्व एवं आवश्यक बैठक की सूचना 5 दिन पूर्व दी जायेगी।
- (द) गणपूर्ति — कुल सदस्यों के ३/४ प्रतिलिपि उपस्थिति में कोरम पूर्ण होगा।

आन्तिप्रिया

गरिष्ठ सहायक

लाभिकारी फर्म सोसाइटी नथ विट्स
कानपुर मण्डल कामपूर

(य) वार्षिक अधिवेश - प्रतिवर्ष 30 जून को होगा परिमितिवश समिति परिवर्तनीय होगी।

(र) कर्तव्य एवं अधिकार -

(1) वार्षिक बजट पास करना।

(2) प्रबन्ध समिति द्वारा प्रेषित मामलों का नियारण करना।

९. प्रबन्धकारिणी समिति -

(अ) गठन - प्रबन्ध समिति में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव/प्रबन्धक, उपसचिव, कोषाध्यक्ष के एक एक पद तथा 02 कार्यकारिणी सदस्य, इस प्रकार कुल 07 व्यक्ति की कार्यकारिणी होगी।

(ब) बैठक - प्रबन्ध समिति को बैठक वर्ष में दो बार अवश्य होगी। अवश्यकतानुसार कितनी भी बैठकें हो सकेंगी।

(स) गणपूर्ति - प्रबन्ध समिति के कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्यों की उपस्थिति में गणपूर्ति पूर्ण होगी परन्तु कोरम के अभाव में नियम बैठक पुनः बुलाने पर कोरम (गणपूर्ति) की वाल्यता नहीं होगी।

(द) सूचना अवधि - सामान्य बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व एवं आवश्यक बैठक की सूचना 24 घण्टे पूर्व दी जायेगी।

(य) कार्यकाल - प्रबन्ध समिति का कार्यकाल पाँच वर्ष होगा।

(र) रिक्त स्थान की पूर्ति - प्रबन्ध समिति में कोई स्थान रिक्त होने पर शेष कार्यकाल के लिये साधारण सभा द्वारा की जायेगी।

(ल) प्रबन्ध समिति के अधिकार एवं कर्तव्य -

(1) वार्षिक बजट पास करना।

(2) संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य करना।

(3) समिति को चल-अचल सम्पत्ति क्रय करने एवं विक्रय करने, लीज एवं किराये पर अन्य व्यक्तियों, समितियों एवं संस्थाओं को देने, राष्ट्रीयकृत व अन्य बैंकों से ऋण व बैंक गारंटी प्राप्त करने व समिति के वर्तमान व भविष्य में प्राप्त (Acquire) होने वाली सम्पत्ति को संयुक्त रूप से मूल विक्रय विलेख आदि को बैंक में बन्धक (Mortgage) कर सकने का अधिकार होगा।

सत्य-प्रतेलिपि




प्रेसिडेंट
प्रबन्धकारिणी समिति

प्रबन्धकारिणी समिति का नियम

१०- पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :-

(अ) अध्यक्ष :- इसे प्रेसिडेंट/चेयरमैन भी कह सकेंगे इसके निम्न अधिकार होंगे।




(1) सभी बैटकों की अध्यशना करना।

(2) सामान्य मन होने पर निर्णयक मत देना।

(ब) उपाध्यक्ष :— चेयरमैन/प्रेसीडेंट/अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनका कार्यभार करना।

(स) सचिव/प्रबन्धक :— यह संस्था का सेकेटरी/मंत्री/प्रबन्धक एवं महानिदेशक होगा। इसके निम्न अधिकार होंगे।

(1) संस्था के समस्त अभिलेखों का रख रखाव करना एवं उन्हें मैनेज करना।

(2) संस्था की समस्त चल अचल सम्पत्ति का रख रखाव करना एवं संस्था की ओर विक्रय/ क्रय पत्र एवं प्रत्येक प्रकार की डीड लिखना।

(3) संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त करना तथा रसीद देना।

(4) संस्था के लिए कर्मचारी नियुक्त करना एवं निष्कासित करना।

(5) जो कर्तव्य किसी भी पदाधिकारी के स्पष्ट नहीं हैं वह समस्त कर्तव्य एवं अधिकार मंत्री के होंगे।

(6) सचिव को संस्था की ओर से समिति को चल—अचल सम्पत्ति क्रय करने एवं विक्रय करने, लोज एवं किराये पर अन्य व्यक्तियों, समितियों एवं संस्थानों को देने, राष्ट्रीयकृत व अन्य बैंकों से ऋण व बैंक गारंटी प्राप्त करने व समिति के वर्तमान व भविष्य में प्राप्त (Acquire) होने वाली सम्पत्ति को संयुक्त रूप से मूल विक्रय विलेख आदि को बैंक में बन्धक (Mortgage) कर सकने का व बैंक के ऋण अभिलेख व पुर्नजीवन पत्र व खातों के संचालन करने का तथा संस्था की चल—अचल सम्पत्ति को ऋण अथवा बैंक गारंटी के सापेक्ष बन्धक रखने का पूर्ण अधिकार भी निहित होगा।

समिति के किसी पदाधिकारी/सदस्य द्वारा ऐसा कोई भी आचरण किया जा रहा हो, जिससे संस्था के हित प्रभावित हो रहे हो तो सचिव द्वारा उसे बिना नोटिस के तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया जायेगा। जिसका निर्णय अनिम होगा।

(द) उपसचिव :— संस्था के मंत्री द्वारा सौपे गये कार्य करना।



सत्य—प्रातोलिपि (7)

Q

प्रभाव द्वारा द्वारा द्वारा द्वारा द्वारा

उपसचिव

३५

मुक्त
मुक्त

Amit Roy

आन्तरिक

(य) कोषाध्यक्ष :— कोष का रख—रखाव करना।

11- संस्था के नियमों में संसोधन :— संस्था के नियमों एवं नितियों में २/३ सदस्यों की सहमति पर मान्य होगा।

12- संस्था का कोष :— संस्था का कोष किसी मान्यता प्राप्त बैंक में खाता खोलकर, खाते का संचालन मंत्री/प्रबन्धक द्वारा होगा।

13- अदालती कार्यवाही :— यहाँ संस्थावादी हो अथवा प्रतिवादी संस्था की ओर से मंत्री/प्रबन्धक द्वारा अदालती कार्यवाही की जायेगी।

14- आडिट :— संस्था का आडिट किसी सुयोग्य व्यक्ति द्वारा कराया जायेगा।

15- अभिलेख :— संस्था के निम्न अभिलेख होंगे।

(1) सदस्यता रजिस्टर।

(2) कार्यवाही रजिस्टर।

(3) ऐजेण्डा रजिस्टर।

(4) स्टॉक रजिस्टर।

(5) कैश बुक आदि।

16- विघटन :— संस्था के विघटन पर सम्पत्ति का निस्तारण सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 धारा 13^{वाँ} 14 के अनुसार होगा।

17- समिति द्वारा संचालित संस्थाएँ :— वर्तमान में संस्था के प्रबंधन एवं पूर्ण स्वामित्व में संचालित संस्थाएँ—

अ. साई मीर कॉलेज ऑफ फार्मेसी, फर्मखाबाद रोड, लिंबामऊ, कर्नाटक।

ब. साई मीर कॉलेज ऑफ पॉलीटेक्निक, फर्मखाबाद रोड, लिंबामऊ, कर्नाटक।

दिनांक



सत्यप्रतिलिपि

हस्ताक्षर

Anil Ray
Anil Ray

आन्तरिक

11/11/2011

11/11/2011

११/११

सत्य—प्रतिलिपि

विठ्ठल तिळक

भारतीय राजीवकांठ मन्त्री, सोसाइटीज तथा वित्त
कानपुर मण्डल कानपुर

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
भारत सरकार
GOVT. OF INDIA
BABU SINGH KRISHNA DEVI SAMITI

07/06/2013
Permanent Account Number
AACAB0634N

